

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 33/2023-State Tax

Dated: 23/12/2024

No. F.3 ( 18 )/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 11/19 — In exercise of the powers conferred by section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Account Aggregator" as the systems with which information may be shared by the common portal based on consent under Section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of October, 2023.

Explanation: For the purpose of this notification, "Account Aggregator" means a non-financial banking company which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and defined as such in the Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)  
Joint Secretary (Fin)

No. F.3 ( 18 )/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 11/19

Dated: 23/12/2024

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

E-1559251/SGST

26.12.24

1962/Act-II

26.12.24

26-12  
AC-PR.

Ankur  
Neelam Nagis  
CST

(Ravinder Kumar)  
Joint Secretary (Fin)

Ankur  
3/1/25  
DA (Abdullah)



(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (व्यय-I) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 33/2023-राज्य कर


दिनांक: 23/12/2024

सं.फा. 3( 18 )/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/1119 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 158क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, "लेखा संकलक को ऐसे तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है जिससे दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "लेखा संकलक" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पॉलीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी लेखा संकलक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा परिभाषित है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

  
(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव ( वित्त )

सं.फा. 3( 18 )/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/1119

दिनांक: 23/12/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव ( वित्त )